राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर

क्रमांकः वीएस/3/19/2019/ दिनांकः

1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
——————————

2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

विषयः— वर्ष 2018 के अंतरंग एवं बाह्य रोगियों का वार्षिक प्रतिवेदन सी.से.ई. (एम–72) भिजवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— निदेशालय के पत्र कमांकः 18 दिनांकः 17.1.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध है कि वर्ष 2018 के अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों का वार्षिक प्रतिवेदन ''सी.से.ई.'' (एम–72) आपके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था । जो आज दिवस तक प्राप्त नहीं हुये हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिवेदन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इससे उच्च स्तर की प्रत्येक चिकित्सा संस्थान द्वारा कलेण्डर वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है। इसमे चिकित्सा संस्थान के आउटडोर, इन्डोर एवं इण्डोर अटेण्डेन्स मरिजों की मासिक संख्या भी अंकित होती है। सी0ट0ई0 प्रतिवेदन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग विभाग मे विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर देने, राज्य में नई चिकित्सा संस्थान खोलने तथा कार्यरत संस्थानों को कमोन्नत करने में होता है।
उक्त प्रतिवेदन निदेशालय को भिजवाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच कर लेंवे :—

1— सी एवं डी स्टेटमेन्ट के सभी कॉलम का योग सही हो।

2— स्टेटमेन्ट—सी में कॉलम संख्या 6 का योग कॉलम संख्या 11 से अधिक होना चाहिए क्योंकि कॉलम संख्या 11 में भर्ती मरिजों की संख्या का इन्द्राज किया जाता है जबकि वह मरिज कितने दिन भर्ती रहा है उसकी संख्या को जोडकर कॉलम संख्या 6 में इन्द्राज किया जाता हैं।

3— डी स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई 159 बीमारियों के वर्गीकरण के अनुसार ही रोगियों की संख्या अंकित की जावें। पुरूष एवं महिला की बीमारियों की सही ढंग से जांच कर ही संख्या दी जावे।

4— डी—स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई अंतरंग, बहिरंग एवं मृत्युओं की संख्या का योग सी—स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई कॉलम संख्या 11, 25 एवं 15 के योग के समान ही होनी चाहिए।

5— वार्षिक प्रतिवेदन के सी, सी—1, डी, डी—1 तथा ई पार्ट पूर्ण रूप से भरे जावें।

6— स्मॉल पॉक्स चूंकि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है अतः यह ध्यान रखे कि स्मॉल पॉक्स में रोगियों की संख्या अंकित नहीं की जावें ।

7—सी0टू0ई0 प्रतिवेदन में आउटडोर, इण्डोर, इण्डोर अटेण्डेन्स इत्यादि की सूचना का पीसीटीएस एवं ई—औषधि साफ्टवेयर मे अपलोड की गई सूचनाओं से मिलान कर ही सी0टू0ई0 प्रतिवेदन मे अंकित की जावें। प्रायः देखा गया है कि सी0टू0ई0 प्रतिवेदन (एम—72) की सूचना पीसीटीएस एवं ई—औषधि साफ्टवेयर मे अपलोड की गई सूचनाओं से मेल नहीं खाती हैं।

यह भी देखा गया है कि सी0टू0ई0 प्रतिवेदन बिना सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं वर्ष का इन्द्राज किए बिना ही भिजवा दिए जाते हैं, यह ध्यान रखा जावें की वर्ष का इन्द्राज करते हुये प्रतिवेदन साफ एवं स्पष्ट भरे तथा प्रत्येक पृष्ठ पर **सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर** मय सील भी होना आवश्यक हैं।

विधान सभा के बजट सत्र मे सी0टू0ई0 प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचनाओं की आवश्यकता होगीं , इसलिए उच्च स्तर से निर्देशित किया गया है कि जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्ष 2018 की सी0टू0ई0 रिपोर्ट अति—शीघ्र मंगवाई जावें जिससे कि माननीय मंत्री महोदय को बजट सत्र में तत्काल आउटडोर, इण्डोर, बीओआर इत्यादि की सूचना उपलब्ध करवाई जा सकें। इसलिए आपके अधीन आने वाले समस्त/बकाया चिकित्सा संस्थानों से वार्षिक प्रतिवेदन एकत्रित कर निदेशालय के सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) के कमरा नं0 सी—211 मे तीन दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

रिक्त प्रपत्र की आवश्यकता हो तो निदेशालय से प्राप्त कर लेवें।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देंवे।

भवदीय

(डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0 स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः वीएस/3/19/2019/58 दिनांकः 14/2/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1—समस्त संयुक्त निदेशक, (जोन) चि0 एवं स्वा0 सेवायें, राजस्थान।

2—प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0 स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

vsodmhs1914(·af' ·om